न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 69/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/174

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।		1. श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री खेत सिंह 2. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री खेत सिंह 3. श्री खेत सिंह पुत्र श्री पुरण सिंह समस्त निवासी हुडील तहसील कुचमान सिटी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामलाल जाट
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री विरेन्द्र सिंह

–ःआदेशः– **दिनांक : 23.12.2024**

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग/रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 18.10.2024 को जिला रसद अधिकारी डीडवाना–कुचामन मय टीम श्री ओमेन्द्र कुमार प्रवर्तन निरीक्षक नावां एवं श्री वीरेन्द्र सिंह जाखड़ प्रवर्तन निरीक्षक डीडवाना द्वारा ग्राम हुडील में श्री मांगू सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह के घर आकस्मिक जाँच की कार्यवाही की गई। मांगू सिंह के घर पहूचने पर श्री आनन्द सिंह पुत्र खेत सिंह टीम को देखकर फरार हा गए तथा मौके पर श्री आनन्द सिंह के भाई श्री राजेन्द सिंह एवं उनके पिता श्री खेत सिंह उपस्थित मिलें, जिन्होनें घर का निरीक्षण करवाया। मौके पर घर में कुल 25 घरेलू गैस सिलेण्डर, दो रिफिलिंग मोटर मय रेगुलटर, पाईप एवं 27 गैस डायरियां मौके पर मिले। मौके पर घर में भण्डारित पाये गये 25 घरेलू गैस सिलेण्डर, दो रिफिलिंग मोटर मय रेगुलेटर एवं पाईप के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री खेत सिंह एवं खेत सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह से पुछताछ कर बयान दर्ज किए गए। श्री राजेन्द्र सिंह एवं [illegible] में उल्लेख किया कि आनन्द सिंह पुत्र श्री खेत सिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों [illegible] रिफिलिंग एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.26 10:47:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

ग्रामवासियों को कमीशन के आधार पर वितरण किया जाता है एवं स्वयं वाईन शॉप पर कार्य करता है। इसके बदले में श्री आनन्द सिंह द्वारा कमीशन प्राप्त किया जाता है। आनन्द सिंह मौके पर था, परन्तु सरकारी गाड़ी को देखकर फरार हो गया।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र खेत सिंह एवं श्री खेत सिंह पुत्र श्री पुरण सिंह से घरेलू गैस के अवैध भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण/व्यापार/रिफिलिंग से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया। श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री खेत सिंह एवं श्री खेत सिंह पुत्र श्री पुरण सिंह द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अवैध भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 25 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 रिफिलिंग मोटर मय रेगुलेटर पाईप एवं 27 गैस डायरियों को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसर है :–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	बीपीसीएल	1625665	0 किग्रा
2.	बीपीसीएल	13020	0 किग्रा
3.	बीपीसीएल	8074845	0 किग्रा
4.	बीपीसीएल	340232	0 किग्रा
5.	बीपीसीएल	987581–E	0 किग्रा
6.	बीपीसीएल	917704–B	0 किग्रा
7.	बीपीसीएल	665673	0 किग्रा
8.	बीपीसीएल	189858	0 किग्रा
9.	बीपीसीएल	966981–S	0 किग्रा
10.	बीपीसीएल	81338–B	0 किग्रा
11.	बीपीसीएल	51260–S	0 किग्रा
12.	बीपीसीएल	384439	0 किग्रा
13.	बीपीसीएल	51064–S	0 किग्रा
14.	बीपीसीएल	403123	13.5 किग्रा
15.	बीपीसीएल	66760–T	12.2 किग्रा
16.	इण्डेन	0122985	0 किग्रा
17.	इण्डेन	878379–D	0 किग्रा
18.	इण्डेन	309856	0 किग्रा
19.	इण्डेन	739948	0 किग्रा
20.	इण्डेन	067696–S	0 किग्रा
21.	इण्डेन	577612	0 किग्रा
22.	इण्डेन	455345	0 किग्रा
23.	इण्डेन	546439–S	0 किग्रा
24.	इण्डेन	912359	14.2 किग्रा
25.	इण्डेन	133186–S	0 किग्रा

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.26 10:47:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

फर्द तलपट्टी गैस डायरियां –

क्र.सं.	उपभोक्ता नम्बर	उपभोक्ता का नाम	कंपनी का नाम
1.	86104174	मांगी देवी / बलराम	बीपीसीएल
2.	14977	आनन्द सिंह / खेत सिंह	बीपीसीएल
3.	13253	रूघाराम / लादूराम	बीपीसीएल
4.	4001	लक्ष्मण सिंह	बीपीसीएल
5.	14189	बोदूराम / गूलाराम	बीपीसीएल
6.	71733299	मदनसिंह / हनुमानराम	बीपीसीएल
7.	2243	गुलाबसिंह / दुर्जन सिंह	बीपीसीएल
8.	9587185104	लाड़ कंवर / बजरंग सिंह	बीपीसीएल
9.	3494	मेतीसिंह	बीपीसीएल
10.	73883739	आशा कलावत / लक्ष्मणराम	बीपीसीएल
11.	64151683	हरदेवाराम / हनुमानराम	बीपीसीएल
12.	7215094446	रतन कंवर	आईओसीएल
13.	105834876	विक्रम सिंह / इन्द्रसिंह	बीपीसीएल
14.	93360995	भगवानी देवी / गोपालराम	बीपीसीएल
15.	70202653	अमरचन्द / डोलाराम	बीपीसीएल
16.	3428	उमराव सिंह / भगवतसिंह	बीपीसीएल
17.	6325	किशोर सिंह / दौलतसिंह	बीपीसीएल
18.	8459	राजेन्द्र कुमार / मदनलाल	बीपीसीएल
19.	2731	तेजसिंह / भागीरथ	बीपीसीएल
20.	7059345728	बलदेश कंवर	आईओसीएल
21.	93762148	हेमलता देवी / मुकेश	बीपीसीएल
22.	115849783	उच्छव कंवर / बजरंग	बीपीसीएल
23.	98420111	कमलकिशोर / महावीर प्रसाद	बीपीसीएल
24.	5697	रामदेवारा / दीपाराम	बीपीसीएल
25.	8234	भंवरसिंह / उमराव सिंह	बीपीसीएल
26.	2505	संतोष कंवर / भंवरसिंह	बीपीसीएल
27.	7249	सुमन कंवर / मानसिंह	बीपीसीएल

उपरोक्त 25 घरेलू रसोई गैस को मय गैस एवं 02 रिफिलिंग मोटर मय रेगुलेटर पाईप एवं 27 गैस डायरियों को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स तिरूपति इण्डेन गैस सर्विस टोडास के प्रतिनिधि श्री धमेन्द्र रॉयल पुत्र श्री गोवर्धन राम की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री खेत सिंह एवं श्री खेत सिंह पुत्र श्री पुरण सिंह एवं श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री खेत सिंह का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 25 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस एवं 02 रिफिलिंग मोटर मय रेगुलेटर पाईप एवं 27 गैस डायरियों को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.26 10:47:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री विरेन्द्र सिंह ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री आनन्द सिंह द्वारा घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलु गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर कुल 25 मय 02 रिफिलिंग मोटर मय रेगुलेटर पाईप एवं 27 गैस डायरियों को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 25 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 02 रिफिलिंग मोटर मय रेगुलेटर पाईप एवं 27 गैस डायरियों को मैसर्स तिरूपति इण्डेन गैस सर्विस टोडास के प्रबन्धक श्री धमेन्द्र रॉयल पुत्र श्री गोवर्धन राम को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 25 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 02 रिफिलिंग मोटर मय रेगुलेटर पाईप एवं 27 गैस डायरियां पाए गए। जांच के समय श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री खेत सिंह एवं खेत सिंह पुत्र श्री पुरण सिंह तथा श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री खेत सिंह के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा 27 गैस डायरियों को अवैध मानते हुए जब्त किया गया है। परन्तु उक्त 27 गैस डायरियों को न तो न्यायालय हाजा में पेश किया तथा न ही किसी गैस उपभोक्ता के बयान दर्ज किये गये। अतः उक्त 27 गैस डायरियों को पुनः उपभोक्ताओं को लौटाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में 25 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 02 रिफिलिंग मोटर मय रेगुलेटर पाईप मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 25 घेरलू गैस सिलेण्डर मय 02 रिफिलिंग मोटर मय रेगुलेटर पाईप मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.26 10:47:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन